ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0– 42/2020–21

जयचन्द मंडल बनाम् बैजनाथ मंडल वगै0

22.10.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक जयचन्द मंडल, पे0–स्व0 अमीर चन्द मंडल, सा0–मंडरो, अंचल–मंडरो, जिला–साहेबगंज वर्त्तमान साकिन–मानिकपुर, थाना–मेहरमा, अंचल–ठाकुरगंगटी के द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा मानिकपुर नं0–150, जमाबंदी नं0–63, दाग नं0–616 के अन्दर कुल रकवा 00–04–16 धूर जमीन से विपक्षी (1) बैजनाथ मंडल, (2) नंदलाल मंडल, (3) सुरेश मंडल, (4) सुबोध मंडल, सभी पे0–स्व0 चरित्तर मंडल, सभी सा0–मानिकपुर, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–305/रा0 दिनांक–15.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया एवं उभय पक्षों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण–पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोंपरान्त प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी का कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तानान्तरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

अतः अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

22.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:11:48 +05:30
Location: 192.168.8.115